क्रान्स खार्खा त्रवास्य भारत

प्रतिलिपि अधिसूचना क्रमांक प-9(20)राज-1/2011 स्यपुर दिनांक 29.9.2014 ओर से संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज0 जयपुर

राजस्थान भूराजस्य अधिनियम, 1956 (1968 का राजस्थान अधिनियम संख्या –15) की धारा-16, में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत गृह मन्त्रात्य भारत सरकार नुई दिल्ली की अनापित्त संख्या 11/व1/2013-एम एण्ड जी दिनांक 12.6.2014 के अनुसरण में जिला टोंक की तहसील टोंडारायसिंह के राजस्य ग्राम "बालापुरा जाटान" (BALAPURA JATAN) का नाम परिवर्तित कर "बालापुरा बावडी " (BALAPURA BAWARI) किया जाता है :--

| (BALAPURA BAWANI) | | राजस्य ग्राम का परिवर्तित नाम |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| जिला/तहसील | राजरव ग्राम का वर्तमान नाम | |
| शेक् / टीडारायशिह | बालापुरा जोडान | बालापुरा बावडी |
| Cidy Cigitiante | | |

Spelling of the new Spelling of the new Existing Name of the Name in Devnagri District/Tehsil Name in Roman script révenue village script बालापुरा बावडी Balapura Bavri Balapura jatan Tonk/Todaraysing

भविष्य में इस परिवर्तित नाम बालापुरा बावडी से जाना पश्चाना व सम्बोधित किया जावेगा।

आज्ञा से

(民0) (दिनेश चन्द जैन) सयुंक्त शासन सचिव

देनांक:- 21/10/14

कार्यालय जिला कलेक्टर (मू.अ.) टोंक

क्रमाकः-भू अ.६. एक १४(५)सा. / न. रा.ग्रा. / ७७ / ६५ ६६- ९० प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

ं उपशासन सचिव राजस्व (गुप-1) विभाग , जयपूर

2: उपनिबन्धक (भू.अ.) राजस्य मण्डल राजरथान) अजमेर

अ सम्भागीय आयुक्त, अजभेर

4. पुलिस अधीक्षक, टोंक

ह अति कलेक्ट्र, बीसलपुर परियोजना, देवली

र प्रमारी अधिकारी राजस्व/जि.रा.ले./चुनाव/सामान्य/स्थाय/सहायता/पंचायत/अनुमाग कले० टोंक हो अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा.अ.भि वि./सा.नि.वि./जयुपर वि.नि.अ.भि. टोंक b. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,टोंक

१ उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह 10. मुख्य आयोजना अधिकारी / जिला सांख्यिकी अधिकारी / जन सम्पर्क अधिकारी, टोंक .

11. विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडारायसिंह 12. तहसीलदार टोडारायसिंह को प्रेषित कर लेखे है कि अधिसूचना अनुसार ग्राम बालापुरा जाटान का परिवर्तित नाम बालापुरा बावडी परिवर्तन से प्रेमाबित अभिलेखों के भविष्य में संधारण / नक्से /अभिलेखों के

परिशोधन को कार्य निष्पादन करने की सुनिश्चितता करें।

13. निर्जी सहायक जिला कलेक्टर/अति. जिला कलेक्टर , टॉक

क रिकार्ड कीपर कार्यालय हाजां /आरक्षित पत्रविली

जिला कलक्टर (मू.अ.)

ty cpkyksa] thou cpkyksaA